



HAMIRPUR POLICE

दि० 31.05.2023



"प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1,10,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई"

आज दिनांक:- 31.05.2023 को डकैती कोर्ट द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ०सं० 1838/2007 धारा 201, 302, 364 आई.पी.सी. में नामजद अभियुक्त हरनाम सिंह सेंगर पुत्र मुन्ना सिंह सेंगर नि० मिर्जापुर, थाना मधोगढ़, जनपद जालौन को सजा दिलाई गई।

इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 1,10,000/- रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।

अभियुक्त को सजा दिलाने में प्र०नि० कोतवाली सदर दुर्गविजय सिंह, एडीजीसी मणिकर्ण शुक्ला व पैरोकार का० बिजमान सिंह का सराहनीय योगदान रहा।



प्र०नि०
दुर्गविजय सिंह



एडीजीसी
मणिकर्ण शुक्ला



पैरोकार
का० बिजमान सिंह